

सं0 सं0 14/एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	खुशबुन निशा पिता—इसहाक अंसारी ग्राम—टोटहा जगतपुर पो0—दुबौली थाना—पानापुर जिला—सारण सीआरनं0—2016420700	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	राजन कुमार पिता—रमेश प्रसाद ग्राम—गच्छरगामा बजार पो0—मच्छरगामा थाना—योगापट्टी जिला—प0 चम्पारण सीआरनं0—2016485785	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	मती देवी पति—महेन्द्र चौधरी ग्राम—पोट नरहवा पो0—नरहवा शुक्ल थाना—गोपालपुर जिला—गोपालगंज सीआरनं0—2007330962	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	महेजबी पति—मंजर इमाम ग्राम—जगमलवा पो0+थाना—थावे जिला—गोपालगंज सीआरनं0—2016129715	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

४/११/१५/७७१.

5	अखिलेश्वर तिवारी पिता—सच्चिदानन्द तिवारी ग्राम—तिवारी खरेया पो०—सोनहुला थाना—कुचायकोट जिला—गोपालगंज सीआरनं०—2016141417	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
6	राज कुमार पिता—स्व. गोविन्द महतो ग्राम—पो०—दीधा घाट थाना—दीधा जिला—पटना सीआरनं०—2015645661	गुर्दा प्रत्यारापण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	मनीष कुमार सिंह पिता—स्व. सूर्यदेव सिंह ग्राम—पो०+थाना—विदुपुर जिला—वैशाली सीआरनं०—2016195753	बोन मैरो ट्रास्प्लांट	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
8	खुशबु कुमारी पिता—श्रवण साव ग्राम—बुधौलीचौक शेखपुरा पो०+थाना+जिला—शेखपुरा सीआरनं०—2016348342	सर्जरी	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
9	शिवकली देवी पति—शत्रुघ्न सिह ग्राम—चीचमी पो०—सरसौली थाना—जम्होर जिला—औरंगाबाद सीआरनं०—2016346328	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
10	राजेश कुमार पिता—भोला प्रसाद सिंह ग्राम+पोस्ट—भथाही थाना—जन्दाहा जिला—वैशाली सीआरनं०—2016511418	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
11	नवीन कुमार ठाकुर पिता—राम कुमार ठाकुर ग्राम—राजीव नगर गायत्री समाज, पो०—केशरी नगर थाना—राजीव नगर, जिला—पटना सीआरनं०—2016274772	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,55,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,55,000/- (दस लाख पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ३८८०८०८/.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

३१/११/३
५/११/६

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा ।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए ।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि—शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक संo.....३८८०८१.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक ॥३५(१५)

पटना, दिनांक ०५.०८.१५

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री विनय बिहारी विधायक, लौरिया बिहार विधान सभा/ सभी संबंधित मरीजों/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४/११/२
५/८/१०
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१.८.८०८१

सं0 सं0 14 / एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विक्रम पिता—विनोद गुप्ता ग्राम—चकलेबैनी पो0—थाना—वैनी जिला समस्तीपुर केसफाइलनं0—सीएम / 03717	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	मुरारी कुमार सिंह पिता—कामेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम—पो0—मंगवार थाना—बसनही जिला—सहरसा केसफाइलनं0—सीएन / 07657	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	अम्बरीश कुमार सिंह पिता—कामेश्वर सिंह ग्राम—कृष्णापुर पो0—थाना—हिलसा जिला नालंदा केसफाइलनं0—सीएल / 33729	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,70,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/- (एक लाख सतर हजार) रूपया का क्रास चेक सं0....
३४४०७८.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छदम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

२०/०८/१६

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय और के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक ०५.०८.१६

ज्ञापांक ॥३॥ (१५)

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों
को/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०/१५६/३
५/९/१६
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२११.४८८-६१

सं0 सं0 14 / इम 11-2 / 16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गांधी मेमोरियल एड एसिस्येट
लखनऊ, उ0 प्र0-226003

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.2016 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोना देवी पति—जय प्रकाश साह ग्राम—पठखौली पो0—मलकौली पठकौली थाना—बगहा जिला—प0 चम्पारण	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
कुल ₹ 80,000/-			

2. उक्त अनुदान की कुल ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रूपया का क्रास चेक सं..... ३४४०७५
.....मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 05.08.16

ज्ञापांक 1132 (14)

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों
को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१.८.१६

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवास संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कुंज बिहारी साह पिता—गंगाधर साह ग्राम—पो0—जफरा थाना—विस्फी जिला—मधुबनी सीआरनं0—201002713046	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,00,000/- (दो लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388077 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम—"डायरेक्टर, पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0" खाते का प्रकार— चालु बैंक का नाम— एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम— मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं0 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

३०/१११३
५/३०/१

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं3880.79 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 1134 (14)

निदेशक प्र
पट्टना, दिनांक 05-08-16

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मनोज यादव पिता—फुलेना राय ग्राम—जागा पाकड़ शर्मा टोला पो0—जागापाकड़ थाना—हरसिंह जिला—पूर्वी चम्पारण सीआरन0—201602788098	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 10413583830 खाता धारक का नाम—“डायरेक्टर, पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0” खाते का प्रकार— चालु बैंक का नाम— एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम— मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं0 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/चृद्घन नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

२०/१११३
२९/८/१६

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं388079 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 1097(14)

हो/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 01.08.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓/M/R
9/7/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.07.16

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 16
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
 बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पीटल
 इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
 वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सत्य भामा देवी पति—कृष्णा तिवारी ग्राम—भलुहां पो0—सबार थाना—करमचट जिला—भभुआ, कैमुर ओ.पी.डीन0—5021 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	बिन्दा देवी पति—श्री राम सिंह ग्राम+पो0—दैदहा थाना—दिनारा जिला—रोहतास ओ.पी.डीन0—2496 / 14	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	प्रभावती देवी पति—अर्लण कुमार सिंह ग्राम—दयालपुर पो0—सिरिस, थाना—बारूण जिला—औरंगाबाद एमआरडीन0—68675	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	सुनीता देवी पति—अशोक त्रीपाठी ग्राम—पो0+थाना—चैनपुर जिला—भभुआ, कैमुर एमआरडीन0—293517	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

३। १। १३।
 १। १। १।

5	परमहंस चौरसीया पिता—स्व० अर्जुन चौरसीया ग्राम—जगरीया पो०+थाना—चैनपुर जिला—भमुआ, कैमुर एमआरडीन०—466547	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,20,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,20,000/- (चार लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388080 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम— कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम— काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा. आजाद हिन्दू प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388080 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 05-08-16

ज्ञापांक ॥२९(१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री विरेन्द्र कुमार स.वि०स० पता—18, हाडिंग रोड पटना 800015/ सभी संबंधित मरीजों/आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२१/८/१६
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१/८/१६

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक
सर सुन्दर लाल हौस्पीटल
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम प्रवेश दास पिता—स्व. बिशनदेव दास ग्राम—सलेमपुर पो0—जीवधारा थाना—पीपरा कोठी जिला—पूर्वी चम्पारण एम0आरडीनं0-28239	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	मोहन राम पिता—शिव नन्दन राम ग्राम—सरगटीया दुखी छापर पो0—दुखी छापर थाना—गोपालपुर जिला—प0 चम्पारण ओ0पी0डीनं0-4266 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	भारती देवी पति—कमल प्रसाद ग्राम—अमवा पो0—माधोपुर, थाना—तुरकौलीया जिला—पूर्वी चम्पारण ओ0पी0डीनं0-310 / 16	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
4	गायत्री देवी पति—भीखर राय ग्राम—तुरकौलीया टोला श्याम बखरी, पो0—बारा जयराम थाना—ढाका पी0एस0 जिला—पूर्वी चम्पारण एम0आरडीनं0-304494	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

२०/७/१६
२९/७/१६

5	कमला देवी पति—भुनेश्वर सिंह ग्राम—जमालपुर पो०—अतिमी थाना—नासरीगंज जिला—रोहतास एम०आरडीन०—406637	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,80,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388080 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम— कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को, संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

₹०/-

(डा. आजाद हिन्दू प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 368080 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक ०१.०८.१६

ज्ञापांक १०९८(१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री प्रभोद कुमार स.वि.स. पता—पाटलीपुत्रा, नेहरू नगर सोना राज अपार्टमेंट 302/ श्री फैसल रहमान स०वि०स०/ श्रीमती अनिता देवी, मंत्री पर्यटन विभाग बिहार/ सभी संबंधित मरीजों/आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३१/११/१६
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
३१/११/१६

सं0 सं0 14 / एम 11-3/16
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
 सेवा में,
 अधीक्षक,
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
 अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
 महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अरविन्द राय पिता—भिखारी राय ग्राम—भगवानपुर पो०—जनादनपुर थाना—कल्याणपुर जिला—समस्तीपुर सीभीन०—6462 / 16	हृदय रोग	₹ 1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार) स्वीकृत।
2	मो० हासिम पिता—मो० इस्माईल ग्राम—सहरसा बस्ती वार्ड न०—38, पो०+थाना+जिला—सहरसा सी.भी 2016 / 014 / 0009151	हृदय रोग	₹ 90,000/- (नब्बे हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹0 2,05,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,05,000/- (दो लाख पाँच हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं0 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ३४६०८१२... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—10874584258, खाता धारक का नाम—AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।

ग्रीष्म २०१६

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं. 388082 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
पटना, दिनांक 05.08.16

ज्ञापांक ॥ ५५ (१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री महेश्वर हजारी, मंत्री नगर विकास एवं आवास वि० बिहार / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. अजाद हिन्द

सं0 सं0 14 / एम 11-3/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	फैजुल हसन पिता—गुलाम शाहीद ग्राम—तारावाड़ी पो०—असजा मोबैया थाना—वायसी जिला—पूर्णिया सीभीनं०—16283 / 16	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं0 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 10874584269, खाता धारक का नाम—“AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S ACCOUNT” खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

२१/८/१२
प्रमुख

विश्वासभाजन

ह०/-
(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.38.80.99 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक ॥५५(१५)

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक ०५.०८.१६

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२१/८/१६
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं0 सं0 14 / एम 11-3/16
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
 बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
 अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मास्टर आशु कुमार पिता—संदीप कुमार बारी ग्राम+पो0-भितभेरवां थाना+जिला—गोपालगंज आइआरसीएच—184931 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹0 80,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹0 80,000/- (अस्सी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388100.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-CA 10874584292, खाता धारक का नाम- DR BRA IRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

२०/८/१३
 ५/८/१३

कृ० पृ० ३०....

4. गलत प्रमाण पत्र/चद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ३८८१०० की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक ११५६(१५)

ह0/-
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
पटना, दिनांक ०५.०८.१६

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११५६(१५)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
०५.०८.१६,

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में
निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० नं०-३, भेल्लोर-६३२००४

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० अली पिता—मो० अयुब मो०—बाकरगंज पो०—बांकीपुर थाना—पीरबहोर जिला—पटना हॉस्पीटलनं०-४०५८६०—जी	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388795 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम— C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—एस०बी०आई०, शाखा का नाम—भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त’ बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम’ के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं388095 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 1133(14)

हो/-
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
पटना, दिनांक 05.08.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३/८१२
५/८११.
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१.८.१६